A — शिक्षा एवं प्रशिक्षण

जिला रोजगार कार्यालय / मॉडल करियर केंद्र

यह संस्थान क्या है

जिला रोजगार कार्यालय (DEE) और मॉडल करियर केंद्र (MCC) सरकारी कार्यालय हैं जो लोगों को नौकरी ढूँढने, करियर मार्गदर्शन पाने, और नियोक्ताओं से जुड़ने में मदद करते हैं। 14 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी नौकरी-अन्वेषक जिला कार्यालय में या ncs.gov.in पर NCS (राष्ट्रीय करियर सेवा) पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। पंजीकरण निःशुल्क है और हर तीन वर्ष में नवीनीकृत होता है। मॉडल करियर केंद्र एक उन्नत रोजगार कार्यालय है जिसमें बेहतर बुनियादी ढाँचा है, जिसमें टेक्नोलॉजी लैब, परामर्श कक्ष, और सीधे NCS पोर्टल एकीकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 407 मॉडल करियर केंद्र हैं। पारंपरिक DEE को राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना के अंतर्गत क्रमिक रूप से करियर केंद्रों में आधुनिक बनाया जा रहा है।

> **यह आपके लिए क्यों मायने रखता है**
>
> यदि आप नौकरी ढूँढ रहे हैं, किसी रोजगार मेले में जाना चाहते हैं, या करियर परामर्श चाहते हैं, तो यह वही सरकारी कार्यालय है जो ये सेवाएँ निःशुल्क देता है। यहाँ पंजीकरण कराने से आप राज्य की बेरोज़गारी भत्ता योजनाओं के लिए भी पात्र बन जाते हैं, जहाँ ये मौजूद हैं।

अभिशासन

कानून / नीति	दायरा
सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस), 2020 (21 नवंबर 2025 से प्रवर्तन; रोजगार कार्यालय अधिनियम 1959 को समाहित किया)	धारा 139: संबंधित अधिसूचना द्वारा केंद्र निर्दिष्ट हो जाने पर, नियोक्ताओं को रिक्तियाँ भरने से पहले उन्हें किसी करियर केंद्र (DEE / MCC — मॉडल करियर केंद्र / NCS पोर्टल) पर रिपोर्ट करनी होगी। रिपोर्टिंग अनिवार्य है; केंद्र के माध्यम से ही नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है।
राष्ट्रीय रोजगार सेवा (NES) मैनुअल, 2022	परिचालन मानक, स्टाफ़िंग, और MCC विनिर्देश
NCS मिशन मोड परियोजना दिशा-निर्देश, 2022	MCC स्थापना अनुदान और संचालन मानदंड

- **केंद्र:** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय → रोजगार महानिदेशालय (DGE)
- **राज्य:** राज्य श्रम / कौशल विकास विभाग → राज्य रोजगार निदेशालय
- **जिला:** जिला रोजगार अधिकारी (DEO)
- **संस्थागत निगरानी:** MCC सलाहकार समिति / जिला रोजगार समीक्षा समिति — सामान्यतः अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं, संयोजक DEO होते हैं; सदस्यों में जिला उद्योग केंद्र (DIC), अग्रणी बैंक, प्रमुख नियोक्ता, प्रशिक्षण संस्थान (ITI — औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / पॉलिटेक्निक), और प्लेसमेंट एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं; रोजगार-मेला परिणामों, रिक्ति-पूर्ति दरों, और नियोक्ता प्रतिक्रिया की समीक्षा करती है
- **वित्त-पोषण:** MCC की स्थापना केंद्र द्वारा वित्त-पोषित (₹60 लाख तक); पहले वर्ष के बाद आवर्ती लागत राज्य को अंतरित

मुख्य पद

पद	उत्तरदायित्व
जिला रोजगार अधिकारी (DEO)	DEE/MCC के प्रमुख; सभी संचालन और जिला समन्वय
सहायक रोजगार अधिकारी (व्यावसायिक मार्गदर्शन)	करियर परामर्श और विद्यालय/कॉलेज आउटरीच
केंद्र प्रबंधक (MCC)	MCC प्रबंधन और परिसर के समग्र प्रभारी; करियर परामर्शदाता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं; जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता वाली जिला करियर-सेवा समिति के सदस्य-सचिव
यंग प्रोफेशनल (YP, केवल MCC)	यंग प्रोफेशनल आरंभ में 3 वर्ष (5 तक बढ़ाने योग्य) के लिए तैनात किए जाते हैं। उसके बाद, राज्य/संस्थान सततता योजना के तहत स्व-संसाधनों से YP या करियर परामर्शदाता को अंशकालिक/अनुबंधित आधार पर रख सकते हैं।
अन्य परामर्शदाता (MCC)	प्रति MCC 2; करियर मार्गदर्शन, विद्यालय/कॉलेज आउटरीच, मोबाइल-वैन दौरे संचालित करते हैं, और खंड/ग्राम स्तरीय स्वयंसेवक परामर्शदाताओं को प्रशिक्षित करते हैं
पंजीकरण प्रबंधक (MCC)	नौकरी-अन्वेषकों के अग्रिम-पंजीकरण और MCC के दैनिक संचालन-समर्थन के लिए

अनिवार्य सेवाएँ

- नौकरी-अन्वेषकों को लाइव रजिस्टर पर पंजीकृत करना और हर तीन वर्ष में रिकॉर्ड का नवीनीकरण करना
- 1959 अधिनियम के तहत नियोक्ताओं से रिक्ति-अधिसूचना प्राप्त एवं संसाधित करना; अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची तैयार करना
- साक्षात्कार के लिए संदर्भ-पत्र जारी करना और प्लेसमेंट परिणामों की निगरानी करना
- कौशल और अभिवृत्ति आकलन, मॉक साक्षात्कार और CV (Curriculum Vitae — पाठ्यक्रम विवरण) तैयार करने के साथ व्यक्तिगत और समूह करियर परामर्श देना; NCS पोर्टल पर LME (अंतिम-छोर रोजगार-योग्यता) पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध हैं
- विद्यालय और कॉलेज आउटरीच संचालित करना
- जिला रोजगार मेले आयोजित करना (MCC: मासिक मेले और एक वार्षिक मेगा मेला)
- राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (NAPS) के अंतर्गत प्रशिक्षुता पंजीकरण को सुगम बनाना
- एक्सचेंज पंजीकरण से जुड़ी राज्य की बेरोज़गारी भत्ता योजनाओं का प्रशासन करना
- स्व-रोजगार और उद्यमिता पर मार्गदर्शन देना, जिसमें कौशल प्रशिक्षण, ऋण और वजीफा हेतु सरकारी योजनाओं से संपर्क शामिल है
- माँग का अनुमान लगाने, कौशल आवश्यकताओं का मानचित्रण करने, और कैचमेंट में कौशल-अंतर पहचानने के लिए स्थानीय नियोक्ताओं और उद्योग के साथ संलग्न होना
- प्रत्येक MCC लगभग 3-4 आसपास के जिलों के कैचमेंट को सेवा देता है और NCS पोर्टल के लिए उस कैचमेंट में संस्थानों, उद्योग और जनसांख्यिकी का मानचित्रण करना अनिवार्य है
- कैचमेंट के प्रतिष्ठानों से रोजगार बाज़ार सूचना (EMI) एकत्र करना, सांख्यिकीय विवरणियाँ तैयार करना, और राज्य निदेशालय के माध्यम से इन्हें राष्ट्रीय रिपोर्टों में समेकन हेतु केंद्रीय रोजगार-सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करना

संबद्ध योजनाएँ

- **राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS)** — ncs.gov.in पर राष्ट्रीय नौकरी मिलान, करियर परामर्श, और रोजगार-योग्यता परीक्षण
- **NAPS** — प्रशिक्षुओं के लिए नियोक्ताओं को 25% वजीफा प्रतिपूर्ति; पोर्टल: apprenticeshipindia.gov.in
- **सक्षम युवा (Haryana)** — पंजीकृत नौकरी-अन्वेषकों के लिए बेरोज़गारी भत्ता
- **मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (Rajasthan)** — पंजीकृत नौकरी-अन्वेषकों के लिए बेरोज़गारी भत्ता

कैसे ढूँढें

पोर्टल: ncs.gov.in → "Find Career Center", अथवा betacloud.ncs.gov.in/career-center पर लाइव लोकेटर; पते और फोन नंबरों सहित पूर्ण ई-डायरेक्टरी के लिए dge.gov.in भी

इसके अलावा: जिला कलेक्ट्रेट में पूछें — DEE अक्सर पास ही होता है; NCS टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1514

मुख्य सुविधाएँ

एक क्रियाशील DEE/MCC में होना चाहिए: रिक्ति सूचना बोर्ड के साथ रिसेप्शन काउंटर, NCS पंजीकरण के लिए इंटरनेट सहित कंप्यूटर, परामर्श कक्ष (MCC में 3 व्यक्तिगत और 1 समूह), वर्कस्टेशन और स्व-सेवा कियोस्क के साथ टेक्नोलॉजी लैब (MCC), और नौकरी-सूचियों एवं करियर सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले। MCC में न्यूनतम 2,000 वर्ग फुट का उपयोग्य स्थान आवश्यक है (पहाड़ी / पूर्वोत्तर स्थलों के लिए ~20% तक शिथिल) तथा लगभग 40 सीटों वाला प्रतीक्षा क्षेत्र, 55-इंच LCD/LED (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले / लाइट एमिटिंग डायोड) डिस्प्ले, और एक समाचार-पत्र/पत्रिका रैक।

एक क्रियाशील DEE/MCC कैसा दिखता है

- वर्तमान वर्ष के लिए लाइव रजिस्टर पर सक्रिय पंजीकरण संसाधित हो रहे हैं
- पिछले 6 महीनों में रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं और इनमें भाग लेने वाले नौकरी-अन्वेषकों एवं नियोक्ताओं के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं
- NCS पोर्टल वर्कस्टेशनों पर सुलभ है और स्टाफ़ इसका उपयोग दिखा सकता है
- संदर्भ-पत्र जारी किए गए हैं और प्लेसमेंट परिणाम ट्रैक किए गए हैं
- एक यंग प्रोफेशनल वर्तमान में तैनात है (MCC के लिए)
- रिक्ति/सूचना बोर्ड डिस्प्ले वर्तमान और अद्यतन हैं
- क्रियाशील MCC पंजीकरण और प्रोफ़ाइल अद्यतन, अभ्यर्थी आकलन और परामर्श, रिक्ति पोस्टिंग, नौकरी मानचित्रण, रोजगार मेले और भर्ती अभियान, प्रतिक्रिया और शिकायत निवारण, कैचमेंट सर्वेक्षण, और लक्षित आउटरीच देते हैं; सफलता का मापन आकलन/परामर्श किए गए अभ्यर्थियों, विद्यालय-परामर्श सत्रों और रोजगार मेलों, समन्वित रिक्ति पोस्टिंगों, और प्लेसमेंट (अंतिम-छोर रोजगार-योग्यता तथा पूर्व अधिगम की मान्यता के माध्यम से सहित) के विरुद्ध होता है

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु जिला रोजगार अधिकारी (DEO) है। MCC के लिए, यंग प्रोफेशनल परामर्श और रोजगार-मेला प्रश्नों के अग्रिम-स्तरीय उत्तरदाता है।

सेवा के बाद। मामला राज्य रोजगार निदेशालय और रोजगार महानिदेशालय (DGE, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) तक बढ़ाया जाता है। जिलाधिकारी का कार्यालय पर प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है।

बाहरी। NCS पोर्टल (ncs.gov.in) एक शिकायत-निवारण अनुभाग चलाता है; NCS हेल्पलाइन 1514 है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, pgportal.gov.in) मंत्रालय की शिकायतें संभालती है। राज्य की बेरोज़गारी भत्ता योजना संबंधी शिकायतें राज्य श्रम विभाग के निर्धारित अधिकारी के पास जाती हैं। श्रम सुविधा पोर्टल (shramsuvidha.gov.in) रिक्ति-अधिसूचना से संबंधित प्रतिष्ठान-अनुपालन के मामले संभालता है।